

1. सनरेफ-इंडिया क्या है?

वर्ष 2008 में सृजित, सनरेफ (प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा वित्त का सतत उपयोग) एएफडी का हरित वित्त लेबल (फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी) है।

सनरेफ इंडिया आवास कार्यक्रम का उद्देश्य देश में आवास उद्योग के कारण पर्यावरण पर होने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करना है जहाँ 70% आवासीय इकाईयाँ अब से लेकर 2030 तक बनाई जानी हैं।

एएफडी और यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा समर्थित, राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) का उद्देश्य सार्वजनिक या निजी आवास परियोजना डेवलपर्स, प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों¹ तथा गृह क्रेताओं के साथ पुनर्वित्त परिचालन के माध्यम से 12,000 निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों को हरित एवं किफायती आवास तक पहुंच आसान बनाना है।

2. डेवलपर्स के लिये लाभ

- पात्र पीएलआई से पात्र हरित आवास परियोजनाओं हेतु बिल्डरों / डेवलपर्स के लिए प्रतिस्पर्धी ब्याज दर (आवश्यकतानुसार 100% तक) पर वित्तपोषण सुविधा
- पात्र परियोजनाओं के लिए हरित प्रमाणन लागतों की प्रतिपूर्ति जिन्होंने: आईजीबीसी हरित आवास रेटिंग और आईजीबीसी हरित किफायती आवास रेटिंग (स्वर्ण और प्लैटिनम रेटिंग के साथ पूर्व प्रमाणित / प्रमाणित) प्राप्त की है किफायती आवास रेटिंग के लिए जीआरआईएचए रेटिंग और जीआरआईएचए (4 स्टार और 5 स्टार रेटिंग के साथ पूर्व-प्रमाणित / प्रमाणित)
- संपूर्ण हरित प्रमाणन प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की गई तकनीकी सहायता
- विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (हरित और किफायती घटकों के संबंध में मानदंड, योजना और परियोजना डिजाइन)
- निर्माण कार्य का समय कम करना और आवास स्टॉक शीघ्र उपलब्ध कराना
- सनरेफ इंडिया कार्यक्रम के साथ विपणन और को-ब्रांडिंग

3. डेवलपर्स के लिए पात्रता मानदंड

- आवासीय परियोजनाएं जिन्होंने आईजीबीसी/ जीआरआईएचए हरित आवास/हरित किफायती आवास रेटिंग प्रणाली के अंतर्गत स्वर्ण या प्लैटिनम या 4/5 स्टार रेटिंग पूर्व-प्रमाणन / प्रमाणन प्राप्त किया है
- भारत में किसी भी राज्य / केंद्रशासित प्रदेश में किसी भी शहरी क्षेत्र में स्थित आवासीय परियोजना
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग को लक्षित करने वाली परियोजनाएँ ही पात्र² हैं

संपर्क

राष्ट्रीय आवास बैंक

कोर 5 ए, भारत पर्यावास केंद्र

लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003

फोन : 011- 39187174 ई-मेल: subhash@nhb.org.in

¹ प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों में आवास वित्त कंपनियां, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान शामिल हैं।

² भारत सरकार की परिभाषा के अनुसार, 3 लाख रु., 6 लाख रु. और 18 लाख रु. तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति क्रमशः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग की श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं।